

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.35/2023/149

दिनांक: 21.06.2023

-: आदेश :-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशाषा के आधार पर राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, 1986 यथा संशोधित के तहत इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित निम्न लिखित कर्मचारीगण को शरिस्तेदार ग्रेड प्रथम/रीडर ग्रेड प्रथम पे लेवल संख्या-11 (37800-119700) के पद पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है:-


01. श्रीमती सविता शर्मा,  
रीडर ग्रेड-II,  
न्या. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली,  
हाल कार्यरत न्या. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
क्रम संख्या-02. हिण्डौन सिटी
02. श्री रामफूल बैरवा (अनुजाति),  
रीडर ग्रेड-II  
न्या. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम  
हाल कार्यरत न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. टोडाभीम
03. श्री रामनिवास गुप्ता,  
कार्यालय सहायक  
जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली
04. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता,  
शरिस्तेदार ग्रेड-II / रीडर ग्रेड-II  
न्या. विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम प्रकरण, करौली

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक G/1/A-4(i)(a)88/2022/692 दिनांक 07.06.2022 के निर्देशानुसार उक्त कर्मचारीगण वर्तमान पदस्थापन न्यायालय में ही पदोन्नत पद पर उपस्थिति देंगे तथा अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नति उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

संबंधित पीठासीन अधिकारीगण उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नत पद की उपस्थिति की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से संबंधित कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे।


इसका इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवा-पुस्तिका में किया जावे।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)  
दिनांक: 21.06.2023

क्रमांक : स्था./प.35/2023/4258-66

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
02. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा (अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-1) हिण्डौन सिटी
03. संबंधित न्यायालय .....
04. संबंधित कर्मचारी श्री .....
05. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.35/2023/150

दिनांक: 21.06.2023

—: आदेश :-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, 1986 यथा संशोधित के तहत इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित निम्न लिखित कर्मचारीगण को शरिस्तेदार ग्रेड द्वितीय/रीडर ग्रेड द्वितीय/कार्यालय सहायक पे लेवल संख्या-10 (33800-106700) के पद पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है:-

01. श्री सुभाष चंद्र शर्मा,  
लिपिक ग्रेड-I,  
न्या. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
क्रम-02, हिण्डौन सिटी
02. श्री सुभाष चंद्र सिंघल,  
रीडर ग्रेड-III,  
ग्राम न्यायालय, हिण्डौन सिटी
03. श्री शिवदयाल वैरवा (अनु.जाति),  
लिपिक ग्रेड-I,  
जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली
04. श्री दामोदर लाल माली,  
रीडर ग्रेड-III,  
न्या. अति. सिविल न्या. एवं न्या. मजि. करौली

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक G/1/A-4(i)(a)88/2022/692 दिनांक 07.06.2022 के निर्देशानुसार उक्त कर्मचारीगण वर्तमान पदस्थापन न्यायालय में ही पदोन्नत पद पर उपस्थिति देंगे तथा अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नति उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

संबंधित पीठासीन अधिकारीगण उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नत पद की उपस्थिति की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से संबंधित कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे।

इसका इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवा-पुस्तिका में किया जावे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.35/2023/4267-75

दिनांक: 21.06.2023-

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
02. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा (अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-1) हिण्डौन सिटी
03. संबंधित न्यायालय .....
04. संबंधित कर्मचारी श्री .....
05. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.43/2023/151

दिनांक : 21.06.2023

— आदेश —

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, 1986 तथा संशोधित के तहत इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित निम्न लिखित कर्मचारीगण को शरिस्तेदार ग्रेड तृतीय/रीडर ग्रेड तृतीय /लिपिक ग्रेड प्रथम पे लेवल संख्या-08 (26300-83500) के पद पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है:-

01. श्री देवेन्द्र चौधरी,  
लिपिक ग्रेड द्वितीय,  
न्या. अति. सि.न्या. एवं न्या.मजि. क्रम-1 हिण्डौन सिटी
02. श्री अशोक कुमार वर्मा,  
लिपिक ग्रेड द्वितीय,  
न्या. अति. सि.न्या. एवं न्या.मजि. करौली
03. श्री मदन मोहन वर्मा,  
लिपिक ग्रेड द्वितीय,  
न्या. अति. सि.न्या. एवं न्या.मजि. क्रम-1 हिण्डौन सिटी
04. सुश्री मंजु भारती (अनु.जाति),  
लिपिक ग्रेड द्वितीय,  
न्या. अति. सि.न्या. एवं न्या.मजि. करौली
05. श्री अर्जुन सिंह आर्य (अनु.जाति),  
लिपिक ग्रेड द्वितीय,  
न्या. अति. सि.न्या. एवं न्या.मजि. करौली


उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नति लिपिक ग्रेड-द्वितीय की अंतिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध श्री योगेश कुमार गुप्ता लिपिक ग्रेड-द्वितीय, श्री देवेन्द्र चौधरी लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं श्री मोहित कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड-द्वितीय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटीशन/विभागीय अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक G/1/A-4(i)(a)88/2022/692 दिनांक 07.06.2022 के निर्देशानुसार उक्त नव पदोन्नत कर्मचारीगण वर्तमान पदस्थापन /कार्यरत न्यायालय में ही पदोन्नत पद पर उपस्थिति देंगे तथा अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नत कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्त होने की तिथि अथवा अगले कार्य दिवस को ही पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना उसी दिवस इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।

संबंधित पीठासीन अधिकारीगण उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नत पद की उपस्थिति की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से संबंधित कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे।

इसका इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवा-पुस्तिका में किया जावे।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.43/2023/4276-84

दिनांक: 21.06.2023

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
02. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा (अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-1) हिण्डौन सिटी
03. संबंधित न्यायालय .....
04. संबंधित कर्मचारी श्री .....
05. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
करौली (राज0)

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.48/2023/152

दिनांक: 22.06.2023

## —: आदेश :-

करौली न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय, जिनके द्वारा राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम, 1986 (यथासंशोधित) के तहत गति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है तथा जो आशुलिपिक ग्रेड-प्रथम के पद के लिए विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वरियता सह योग्यता एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशांषा के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थायी रूप से आशुलिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल संख्या-12 (44300-140100) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन भत्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन न्यायालय का नाम
01	श्री हरीश कुमार गोयल	आशुलिपिक ग्रेड-II	न्या. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली
02	श्रीमती शानू शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड-II	न्या. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली हाल कार्यरत न्या. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली
03	श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड-II	न्या. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02 हिण्डौन सिटी

## नोट :-

- यदि उपरोक्त कर्मचारीगण का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (revert) कर दिया जावेगा।
- उपरोक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण के सेवा अभिलेख में किया जावे।
- उक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।
- उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नति, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से संबंधित कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)

दिनांक: 22.06.2023

क्रमांक : स्था./प.48/2023/4311-18

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
- प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा (अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01) हिण्डौन सिटी
- संबंधित न्यायालय .....
- संबंधित कर्मचारी .....
- आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.48/2023/153

दिनांक: 22.06.2023

## -: आदेश :-

करौली न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय, जिनके द्वारा राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम, 1986 (यथासशोधित) के तहत गति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है तथा जो आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद के लिए विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वरियता सह योग्यता एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल संख्या-11 (37800-119700) के अन्तर्गत नियमानुसार वेतन वेतन भत्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन न्यायालय का नाम
01	श्री प्रकाश चंद मीना	आशुलिपिक ग्रेड-III	जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली हाल कार्यरत न्या. अति.सि.न्या. एवं न्या.मजि करौली
02	श्री महेश चंद शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड-III	न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम प्रकरण, करौली

## नोट :-

01. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण का कार्य सतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (revert) कर दिया जावेगा।
02. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण के सेवा अभिलेख में किया जावे।
03. उक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।
04. उक्त कर्मचारीगण की पदोन्नति/पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से संबंधित कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)

दिनांक: 22.06.2023

क्रमांक : स्था./प.48/2023/4319-22

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
02. संबंधित न्यायालय .....
03. संबंधित कर्मचारी .....
04. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज0)